



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 308 राँची, शुक्रवार, 5 ज्येष्ठ, 1945 (श०)
26 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना
11 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-14/2021-20956 (HRMS)--श्रीमती सुनीता कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-609/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध सरिया मौजा के बड़की सरिया के गैरमजरूआ खाता संख्या-200, प्लॉट संख्या-1839, रकबा 01 ए० 60 डी० रैयत भरथ कोयरी के नाम दिनांक 06.06.2018, प्लॉट संख्या 4017, रकबा 15.5 डी० रैयत दुलारी देवी के नाम दिनांक 05.01.2020, प्लॉट संख्या 1771, रकबा 2.6 डी० रैयत महेश कुमार मोदी के नाम दिनांक 23.08.2019 को ऑनलाईन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने संबंधी आरोप-पत्र उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-632/रा०, दिनांक 12.03.2021 द्वारा गठित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए अधिसूचना सं०-5775(hrms), दिनांक 27.05.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से श्रीमती कुमारी को निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया ।

3. श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-2491, दिनांक 02.05.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 22.10.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2097/रा०, दिनांक 13.09.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का मंतव्य दिया गया।

4. श्री कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्रीमती सुनीता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUNITA KUMARI (110072812327)	DIV COMMISIO NER OFFICE NORTH CHHOTA NAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER NORTH CHOTA NAGPUR HAZARIBAGH (HAZARIBAGH)	Under Suspension	श्रीमती सुनीता कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 609/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरिया, गिरिडीह, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	11/05/20 23	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
